



मुंबई पोर्टन प्राधिकरण  
Mumbai Port Authority

सामान्य प्रशासन विभाग  
पोर्ट भवन, दूसरा माला  
शूरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टेट,  
मुंबई - 400 001.

General Administration Department,  
Port House, 2<sup>nd</sup> floor,  
S.V. Marg, Ballard Estate,  
MUMBAI - 400 001.



No. GAD/P/RECT-DY.CVO/1123

27 March 2026

**Recruitment Notice**

✓ The Chairperson  
All Major Port Authorities

Sir/ Madam,

Sub: Filling up the post of Dy. Chief Vigilance Officer in the pay scale of Rs.80000-220000 (pre-revised Rs.32900-58000/ Rs.16000-20800) in Mumbai Port Authority on deputation.

One post of Dy. Chief Vigilance Officer in the pay scale of Rs.80000-220000 (pre-revised Rs.32900-58000/ Rs.16000-20800) in Mumbai Port Authority will fall vacant w.e.f. 1.8.2026. In terms of MbPT Employees (RS&P) Regulations, 2010, the post is to be filled on deputation amongst officers from Major Port Authorities. Copy of the Recruitment Rules for the post is at **Annexure I**.

2. Applications are invited from eligible and willing officers of all Major Port Authorities possessing prescribed qualifications, experience and other criteria/ requirements as per the Recruitment Rules.

3. Applications be made through "Online Application Portal (OAP)" from **30.3.2026 to 29.4.2026**. Print out of online application should be submitted through proper channel, alongwith copies of all required documents. The crucial date for determining eligibility for the post of Dy. Chief Vigilance Officer will be **1.8.2026**. Applications, alongwith following documents may be forwarded by the concerned Port Authority to the Manager (HR), Mumbai Port Authority, Port House, 2<sup>nd</sup> Floor, S.V. Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400 001, so as to reach this office on or before **14.5.2026**.

- (i) Certified copies of APARs for the last 5 years (2020-21 to 2024-25) (duly attested by an officer not below the rank of Dy. HOD on each of the page).
- (ii) A statement showing year wise availability of APARs and grading duly signed by the HoD or Secretary. If APAR for a particular year/ period is not available, "No Report Certificate" to that effect may be attached alongwith APARs of the preceding years.
- (iii) Administrative clearance duly filled, signed and stamped by the Head of the Department (copy of proforma enclosed at **Annexure II**).

- (iv) No objection certificate from the respective port.
- (v) Undertaking of the applicants to the effect that candidature will not be withdrawn, if selected by Services Selection Committee.
- (vi) attested copies of all certificates as a proof of educational qualification, experience in the respective post and pay scale wise, duly verified by the port while forwarding the application to this Port.
- (vii) If any major or minor penalty has been imposed on the applicant during the last 10 years, the disciplinary case leading to such penalty along with necessary document may be sent by the forwarding authority along with the application. Vigilance report is to be furnished in the attached format as **Annexure III**.
- (viii) Applicant belonging to SC, ST and OBC category and appointed against reserved post should mention in the applications as to whether their caste certificate is verified through Competent and also attach a Caste Validity/verification certificate alongwith application, else the application will be considered incomplete.

#### 4.1 Instructions to the candidates:

Interested eligible candidates are requested to apply online against this circular on the 'Online Application Portal (OAP)' of the Ministry of Ports, Shipping & Waterways website <http://onlinevacancy.shipmin.nic.in>. The link will be open from **30.3.2026 to 29.4.2026**. The candidate at first has to register himself in the OAP. After applying through online, the candidate has to take printout of the online application and submit the same alongwith the self-attested photocopies of supporting documents and 2 recent passport size photographs to concerned port. Incomplete applications or applications received late may not be considered.

4.2 In terms of Ministry's letter dated 9.7.2020, the Appointing Authority as well as Disciplinary Authority for all Dy. HoD level posts will be the Central Government i.e. Secretary (Ports, Shipping & Waterways). In this connection, all Major Ports are directed to carry out amendments in their Service Regulations viz. Recruitment Rules (RRs), Seniority and Promotion (RS&P), Classification, Control and Appeal and other relevant Regulations (wherever required) as per the laid down.

4.3 Subsequently, the Ministry, by letter dated 29.12.2020 has conveyed that "till amendments in the Service Regulations viz. Recruitment Rules (RRs), Seniority and Promotion (RS&P), Classification, Control and Appeal and other relevant Regulations are notified, Dy. HoD level posts in Major Port Trusts may be filled up only by absorption through composite method at Port level. Advertisement for filling up of the posts, DPC etc. may be held at Port level. However, recommendations of the DPCs may be conveyed by Major Port Trusts to this Ministry and obtain approval of the Ministry before issuing appointment orders."

4.4 Further, the Ministry by letter dated 22.10.2021 has issued guidelines/ advisory stating that *all the matters relating to appointment/ filling up the post of Dy. CVO's only in Major Port Trusts shall be dealt in the Vigilance Division of this Ministry by following the similar practice as in PHRD Division in respect of other Dy. HoD level posts.*


4.5 As per Ministry's advisory/ instructions dated 11.8.2021 in respect of filling up the post of Dy. HoD level, in case of receipt of advance copy of application in respect of any applicant by the Port, candidature of the candidate would not be considered by the Port if his/ her application is not received within 15 days of the last date of receipt of applications.

4.6 Also, as per the aforesaid instructions dated 11.8.2021, Port official, who withdraws his candidature for the post after his selection by the Service Selection Committee, will be liable for debarment from future selection to Dy. HOD level posts in all Major Port Trusts for a period of two years.

5. Circular alongwith annexures is also available on our website [www.mumbaiport.gov.in](http://www.mumbaiport.gov.in).

Yours faithfully,

Encl : As above

  
MANAGER (HR)  
MUMBAI PORT AUTHORITY

फोन/Phone: 91-22-6656 4266

ई-मेल/Email: manager.hr@mumbaiport.gov.in

वेबसाइट/Website: www.mumbaiport.gov.in



मुंबई पत्तन प्राधिकरण  
Mumbai Port Authority

सामान्य प्रशासन विभाग

पोर्ट भवन, दूसरा माला

शूरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टेट,

मुंबई - 400 001.

General Administration Department,

Port House, 2<sup>nd</sup> floor,

S.V. Marg, Ballard Estate,

MUMBAI - 400 001.



सं. सा.प्र.वि./पी/आरईसीटी-डी. वाय. सीवीओ / 1123

27 मार्च 2026

## भर्ती सूचना

अध्यक्ष,

सभी महापत्तन प्राधिकरण

महोदय/ महोदया,

विषय : मुंबई पत्तन प्राधिकरण में रु 80000-220000 (संशोधन पूर्व रु 32900-58000/ रु.16000-20800) के वेतन मान में प्रतिनियुक्ति आधार पर उप मुख्य सतर्कता अधिकारी का पद भरना.

मुंबई पत्तन प्राधिकरण के सतर्कता विभाग में रु 80000-220000 (संशोधन पूर्व रु 32900-58000/ रु.16000-20800) वेतन मान में उप मुख्य सतर्कता अधिकारी का एक पद 1.8.2026 से रिक्त होगा. मुंपोट्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 के अंतर्गत भर्ती नियमों के अनुसार यह पद प्रतिनियुक्ति पर महा पत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों में से भरा जाना है. इस पद के लिए भर्ती नियमों की प्रति **अनुलग्नक - I** में है.

2. भर्ती नियमों के अनुसार निर्धारित योग्यता, अनुभव तथा अन्य निकषों/आवश्यकताओं को धारण कर रहे सभी महा पत्तन प्राधिकरणों के पात्र तथा इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं.

3. आवेदन "ऑनलाईन आवेदन पोर्टल (ओएपी)" के माध्यम से **30.3.2026 से 29.4.2026** तक प्रस्तुत किए जाएं. ऑनलाईन आवेदन की प्रिंट आउट सभी आवश्यक कागजातों की प्रतियों के साथ उचित माध्यम के जरिए प्रस्तुत की जाना जरूरी है. उप मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद के लिए पात्रता तय करने की निर्णायक तिथि **1.8.2026** होगी. निम्नलिखित कागजातों के साथ आवेदन संबंधित पोर्ट प्राधिकरण द्वारा **14.5.2026** को या उससे पहले, **प्रबंधक (मा. सं.)**, मुंबई पत्तन प्राधिकरण, पोर्ट भवन, दूसरा माला, शूरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई - 400 001, को प्राप्त हो इस प्रकार अप्रेषित किये जाएं.

- (i) पिछले 5 वर्षों (2020-21 से 2024-25 तक की) वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों/ वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियाँ (उप विभाग प्रमुख स्तर से कम नहीं ऐसे अधिकारी द्वारा हर एक पन्ने पर विधिवत अभिप्रमाणित करें).
- (ii) वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की वर्षवार उपलब्धता तथा श्रेणीकरण दर्शानेवाला विवरण जो विभाग प्रमुख अथवा सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो. पिछले पाँच वर्षों में से यदि किसी विशिष्ट वर्ष/अवधि की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उपलब्ध न हो तो उसके बारे में 'रिपोर्ट नहीं है प्रमाणपत्र' पूर्ववर्ती वर्षों के गोपनीय रिपोर्टों के साथ प्रस्तुत करें.

- (iii) संबंधित विभाग प्रमुख द्वारा विधिवत भरा गया, हस्ताक्षरित किया गया, तथा मुहर लगाया गया प्रशासनिक अनापत्ति (प्रपत्र की प्रति **अनुलग्नक II** में संलग्न की गई है).
- (iv) संबंधित पोर्ट द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र.
- (v) आवेदक को यदि सेवा चयन समिति द्वारा चयन किया जाता है, तो उम्मीदवारी वापस नहीं ली जाएगी, इस आशय का प्रतिज्ञापत्र देना होगा.
- (vi) इस पोर्ट को आवेदन अग्रेषित करते समय संबंधित पद तथा वेतनमान वार उसमें शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के प्रमाण के रूप में सभी प्रमाणपत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियों को संबंधित पोर्ट द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाए.
- (vii) यदि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई बड़ा या मामूली दण्ड लगाया गया है, तो आवश्यक कागजातों के साथ अनुशासनात्मक मामला जो ऐसे दण्ड की और ले जाता हो इसे आवेदन सहित अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा **अनुलग्नक III** के रूप में संलग्न फॉर्मेट में सतर्कता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी जरूरी है.
- (viii) अजा, अजजा तथा अपिव संवर्गों से संबंधित तथा आरक्षित पद पर नियुक्त हुए आवेदकों को उनके जाति प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किए गए हैं या नहीं इसका उल्लेख उनके आवेदनों में करने के साथ-साथ आवेदन को जाति वैधता/सत्यापन प्रमाणपत्र संलग्न करना भी जरूरी है, अन्यथा आवेदन अपूर्ण समझा जाएगा.

#### 4.1 उम्मीदवारों को अनुदेश:

इस परिपत्र के संदर्भ में इच्छुक पात्र उम्मीदवारों को अपना आवेदन पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट <http://onlinevacancy.shipmin.nic.in> के "ऑनलाईन आवेदन पोर्टल (ओएपी)" के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है. यह लिंक **30.3.2026 से 29.4.2026** तक खुली होगी. सबसे पहले उम्मीदवार को अपने आप को ओएपी में पंजीकृत करवा लेना जरूरी है. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, उम्मीदवार को ऑनलाईन आवेदन का प्रिंट आउट लेकर उसे स्वयं प्रमाणित पुष्टीकृत कागजातों की फोटो प्रतियों के साथ 2 हालही के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ्स के साथ संबंधित पोर्ट को प्रस्तुत करना जरूरी है. अपूर्ण आवेदन अथवा देर से प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा.

4.2 मंत्रालय के दिनांक 9.7.2020 के पत्र के अनुसार, सभी उप विभाग स्तर पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी तथा अनुशासनिक प्राधिकारी केंद्र सरकार अर्थात् सचिव (पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग) होंगे. उस संबंध में, सभी महा पत्तनों को उनके सेवा विनियमों में अर्थात् भर्ती नियम (RRs), वरिष्ठता तथा पदोन्नति (आर एस अण्ड पी), वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील तथा अन्य संगत विनियमों में (जहाँ कहीं भी आवश्यक हो) निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार संशोधन करने का निदेश दिया जाता है.

4.3 तत्पश्चात्, मंत्रालय ने दिनांक 29.12.2020 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि सेवा विनियमों में अर्थात् भर्ती नियमों (RRs), भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति (आर एस अण्ड पी), वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील तथा अन्य संगत विनियमों में जब तक संशोधनों को अधिसूचित नहीं किया जाता है तब तक, महा पत्तन न्यासों में उप विभाग प्रमुख के स्तर के पदों को केवल पोर्ट के स्तर पर मिश्रित पध्दति द्वारा समावेश करके भरा जा सकता है, पदों को भरने हेतु विज्ञापन, विभाग में पदोन्नति समिति आदि को पोर्ट के स्तर पर आयोजित किया जाए. तथापि विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की सिफारिशों के बारे में महा पत्तन न्यासों द्वारा मंत्रालय को सूचित किया जाएगा तथा नियुक्ति आदेशों को जारी करने से पहले मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा.

4.4 आगे, दि.22.10.2021 के पत्र द्वारा मंत्रालय ने केवल महा पत्तन न्यासों में उप मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद पर नियुक्ती/ भरने संबंधित सभी के मामलों में जिस प्रकार अन्य उप विभाग प्रस्तुत स्तर के पदों के संबंध में वही पद्धति से मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग द्वारा की जाएगी जो पी एच आर डी प्रभाग में अपनायी जाती हैं.

4.5 मंत्रालय की सलाह/ अनुदेश दिनांक 11.8.2021 के अनुसार, उप विभाग प्रमुख स्तर का पद भरने के संबंध में, पोर्ट द्वारा किसी भी आवेदक के संबंध में आवेदन की अग्रिम प्रति की प्राप्ति के बारे में यदि उसका आवेदन, आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि के 15 दिनों के अंदर प्राप्त नहीं हुआ तो पोर्ट द्वारा उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जायेगा.

4.6 उसी प्रकार, उपरोक्त दिनांक 11.8.2021 के अनुसार, जो पोर्ट अधिकारी, सेवा चयन समिति द्वारा उसका चयन किये जाने के बाद इस पद के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेता है तो उसे दो वर्ष की अवधि के लिए सभी महापत्तन न्यासों में उप विभाग प्रमुख स्तर के पदों पर भविष्य में चयन हेतु विवर्जित किया जा सकता है.

5. अनुलग्नकों सहित परिपत्र हमारी वेबसाईट [www.mumbaiport.gov.in](http://www.mumbaiport.gov.in) पर भी उपलब्ध है.

संलग्न. यथोक्त.

भवदीय,

  
27/03/26

(सी. प्रेमाकुमारी)

प्रबंधक (मा. सं.)

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

**MUMBAI PORT TRUST  
Vigilance Department**

Annexure -I

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	Dy. Chief Vigilance Officer	1	Class-I	16000-400-20800	Selection	N.A.	N.A.	(b)Degree of a recognised University	N.A.	By deputation	Deputation from officers of Major Port Trusts holding analogous posts or officers holding posts in the pay scale of Rs.24900-50500 (Rs.13000-18250 pre-revised) with 3 years regular service in the grade in Major Port Trust failing which from officers of the Central Government/State Government/PSUs/Autonomous Bodies with similar grade.  Preference will be given to the persons having experience in vigilance work.  The selection will be by merit for which the benchmark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	Deputation will normally be for a period of 3 years, and, in any case not to exceed 5 years

सतर्कता विभाग

अनुलग्नक I

क्र.स.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये)	पद चयन या गैर चयन	सीधा भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएँ (ग) अनुभव पदोन्नति/ विलयन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू है	परिवीक्षा अवधि	भर्ती की पध्दति (सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा )	पदोन्नति/विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में भर्ती किस श्रेणी से की जानी है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	उप मुख्य सतर्कता अधिकारी	1	श्रेणी - I	16000-400-20800	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	(बी) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	महापत्तन न्यास में सदृश्य पद धारण करने वाले अधिकारियों अथवा महापत्तन न्यास में 24900-50500 रुपये (पूर्व संशोधित 13000-18250 रुपये) के वेतन मान में पद धारण करने वाले एवं उस श्रेणी में तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर तथा ऐसा कोई उपलब्ध न होने पर अनुरूप श्रेणी के केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति. सतर्कता कार्य में अनुभव रखनेवाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी. चयन योग्यता के आधार पर होगा इसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में कुल श्रेणीकरण में निर्धारित स्तर "बहुत अच्छा" से कम नहीं होगा.	समान्यतः प्रतिनियुक्ति 3 वर्षों के लिए होगी और किसी भी मामले में 5 वर्षों से अधिक नहीं होगी.

ANNEXURE II

Certificate to be given by Head of Department of

Shri/ Smt. \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

1. It is certified that the particulars furnished by the officer are correct.
2. It is certified that no disciplinary/vigilance case is pending or contemplated against the applicant and he/she is clear from Vigilance and Administrative angle.
3. His/Her integrity is certified.
4. It is certified that no major/ minor penalties have been imposed on the applicant during the last 10 years. If any, kindly indicate details thereof.
5. Attested copies of APARs for the last five years (1.4.2020 to 31.3.2025) are enclosed.
6. It is certified that the incumbent meets the requisite eligibility criteria w.r.t. educational qualification and experience as specified in the Annexure I of the circular for deputation basis.

SIGNATURE OF THE  
HEAD OF DEPARTMENT WITH SEAL

विभाग प्रमुख द्वारा दिया जानेवाला प्रमाणपत्र

श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_

पद \_\_\_\_\_

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता का मामला लंबित विचारधीन नहीं है और वे/वह सतर्कता और प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्दोष है।
3. उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।
4. यह प्रमाणित है की पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई बड़ा/मामूली दण्ड नहीं लगाया गया है, यदि कोई हो तो कृपया उसका विवरण दें।
5. पीछे पांच वर्षों (1.4.2020 से 31.3.2025) के लिए एसीआर की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न हैं।
6. यह प्रमाणित है की पदग्राही समग्र योग्यता के माध्यम से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती के परिपत्र के अनुलग्नक I में निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आदि अपेक्षित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।

विभाग प्रमुख की मोहर (सील) के साथ

**MUMBAI PORT AUTHORITY**

**Particulars of the officer for whom Vigilance Comments/Status has been sought**

1	Name of Officer (in full)	:	
2	Father's name	:	
3	Date of Birth	:	
4	Date of Retirement	:	
5	Date of entry into service	:	
6	Service to which the officer belongs wherever applicable	:	
7	Revised Payscale	:	
8	Whether Annual Property Return (APR) has been submitted in time	:	Yes / No
9	Date of submission of APR	:	

**10 Positions held including whether the officer has functioned as a CVO in part time or additional charge capacity (During the ten preceding years)**

Sl. No.	Organization (Name in full)	Designation and Place of posting	Administrative/ Nodal Ministry/ Deptt.	From	To

11	Whether any punishment was awarded to the officer during the last 10 years and if so, the date of imposition and details of the penalty. (*)	:	
12	Is any disciplinary / criminal proceedings or Chargesheet pending against the officer as on date (If so, details to be furnished – including reference number if any of the commission)	:	
13	Is any action contemplated against the officer as on date (If so details to be furnished) (*)	:	
14	Whether any complaint with vigilance angle pending against the officer as on date (If yes, details to be furnished)	:	

Date:

(Signature of Head of Department)

15	Whether the officer has been placed on the "Agreed List" or "List of Officers of Doubtful Integrity".(If yes details to be given)	:	
16	Whether any allegation of misconduct involving vigilance angle was examined against the officer during the last 10 years and if so, with what result (*)	:	

The applied post being Selection post at the level of Head of Department, the officer is Clear/not clear from vigilance angle as per the guidelines of DoPT/CVC issued from time to time.

Date :

**CHIEF VIGILANCE OFFICER**

(\*) If vigilance clearance had been obtained from the Ministry/CVC in the past, the information may be provided for the period thereafter.

## मुंबई पत्तन प्राधिकरण

### MUMBAI PORT AUTHORITY

अधिकारी का विवरण, जिनके सतर्कता टिप्पणियाँ/स्थिति मांगी गई है.

1.	अधिकारी का नाम (संपूर्ण)	:	
2.	पिता का नाम	:	
3.	जन्म तिथि	:	
4.	सेवा निवृत्ति की तिथि	:	
5.	सेवा प्रवेश की तिथि	:	
6.	अधिकारी के सेवा से संबंधित वर्ग/वर्ष, संवर्ग आदि जो भी लागू है	:	
7.	संशोधित वेतनमान	:	
8.	क्या वार्षिक संपत्ति विवरणी (Annual Property Returns (APR) वक्त पर प्रस्तुत की है	:	हाँ/नहीं
9.	वार्षिक संपत्ति विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि	:	
10.	धारण किए गए पद में अधिकारी ने अंशकालिक या अतिरिक्त प्रभार में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य किया है यह शामिल है (पिछले दस वर्षों के दौरान)	:	

अ.क्र.	संगठन (संपूर्ण नाम)	पदनाम एवं नियुक्ति का स्थान	संबंधित प्रशासनिक/प्रधान मंत्रालय/विभाग	द्वारा	तक

11.	क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी को कोई सजा दी गई थी, और यदि हाँ, तो आरोप लगाने की तिथि और दण्ड का विवरण(*).	:	
12.	क्या आज की तिथि को अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही या चार्जशीट लंबित है (यदि हाँ, तो आयोग द्वारा यदि कोई संदर्भ संख्या तो तिथि के अनुसार दी गई हो उसके साथ विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.)	:	
13.	क्या अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई की गई है (यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.)	:	
14.	क्या सतर्कता की दृष्टि से अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई शिकायत लंबित है (यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.)	:	

तिथि :

(विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर)

15.	यदि अधिकारी को "सहमत सूची" अथवा "संदिग्ध इमानदारी के अधिकारियों की सूची" पर रखा गया (यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए)	:	
16.	यदि सतर्कता की दृष्टि से पिछले 10 वर्षों में अधिकारी के खिलाफ दुराचार का आरोप की जाँच की गयी थी. यदि हाँ तो उसका परिणाम क्या है.(*)	:	

आवेदित पद विभाग प्रमुख के स्तर का चयन पद होने के कारण, उक्त अधिकारी, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग/ केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार, सतर्कता दृष्टि से निर्बाध है/ निर्बाध नहीं है.

तिथि :

(मुख्य सतर्कता अधिकारी)

(\* ) यदि अतीत में मंत्रालय/सीवीसी से सतर्कता मंजूरी प्राप्त की गई थी तो उसके बाद की अवधिके लिए जानकारी प्रदान की जा सकती है.